संख्या-33/2015/203/41-15-51 यो0/2009

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन,

उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद-सीतापुर में नैमिषारण्य के सौन्दर्यीकरण की योजना की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1779/6-1-1 (नैमिषारण्य)/2015, दिनांक 21-01-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद-सीतापुर में नैमिषारण्य के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की योजना के लिये शासनादेश सं0-1884/41-2011-12/51 यो0/09, दिनांक 16-12-2011 द्वारा रू0-244.64 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार से अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 209.99 लाख के सापेक्ष रू0 105.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी तथा प्रश्नगत योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-3399/41-13-51 यो0/09, दिनांक 06-12-2013 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 105.99 लाख अर्थात कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 209.99 लाख की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0 34.65 लाख (रूपये चौंतीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या-33/2015/203(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- जिलाधिकारी, सीतापुर।

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4

9- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।

10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in